

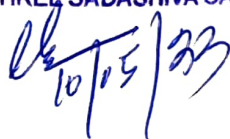
OFFICE OF THE DIRECTOR
CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY
SHREE SADASHIVA CAMPUS, PURI

Notification No.- 77

Date. 10.05.2023

Please find enclosed here with the letter No-9-1/CSU/DeanAcad./2022-23/211, dt.09.05.2023 received from Prof. Banamali Biswal, Dean, Acacd. Affairs, CSU, New Delhi in connection with Summer Vacation of this campus is hereby sent to the following for information and necessary action accordingly.

- 1- All the Head of the Schools/ all Faculty members/Class teacher in charge, Co-ordinators/Conveners, CSU, SSC, Puri
- 2- Convener, IQAC/NAAC, CSU, SSC, Puri
- 3- Admin/Acc/Exam. Section/ Library, CSU, SSC, Puri
- 4- Notice Board /Notice Book/Campus website for wide circulation.


(**DIRECTOR**)
CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY
SHREE SADASHIVA CAMPUS, PURI, ODISHA

10/5/23

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

9-1/CSU/DeanAcad./2022-23/911

दिनांक:- 09.05.2023

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
सभी परिसर / सम्बद्ध महाविद्यालय,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

विषय:- आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ग्रीष्मावकाश 2023 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत हमारे पत्र 9-1/CSU/DeanAcad./2022-23/138, दिनांक 09.05.2023 के सातत्य में सूचित किया जा रहा है कि पूर्व पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि 15 मई से 31 मई 2023 तक ग्रीष्मावकाश उन छात्रों के लिए होगा जिनकी परीक्षा मई में नहीं हो रही है और जिन छात्रों की परीक्षा मई में हो रही है वे सभी 01-14 जून तक ग्रीष्मावकाश का उपयोग करेंगे।

चूँकि आचार्य प्रथम वर्ष का एक स्थगित पत्र की परीक्षा 26 मई को निश्चित है, अतः उन्हें भी 1-14 जून तक ग्रीष्म अवकाश देय होगा।

सादर,

B. Biswal
(प्रो. बर्नमाली बिश्वाल) 09/05/2023

अधिष्ठाता (शैक्षिकवृत्त एवं छात्र कल्याण)

प्रति:-

1. कुलसचिव कार्यालय, के.सं.वि.
2. कुलपति कार्यालय, के.सं.वि.
3. निदेशक / प्राचार्य, सभी परिसर / सम्बद्ध महाविद्यालय
4. परीक्षा विभाग
5. सम्बंधित कार्यालय